मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XV | अंक 5 | नवंबर 2019

विषयवस्तु

	अनुभाग	पृष्ठ
i.	रिज़र्व बैंक ने अपने विनियमन और पर्यवेक्षण विभागों को पुनर्गठित किया	1
ii.	विनियमन	1
iii.	भुगतान और निपटान प्रणाली	2
iv.	विदेशी मुद्रा प्रबंधन	3
v.	समिति रिपोर्ट	3
vi.	रिज़र्व बैंक के शीर्ष प्रबंधन का वक्तव्य	4
vii.	सर्वेक्षण	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका माह नवंबर में धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए नए विकासात्मक और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in से एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और सूचना के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचनाओं को साझा करने, शिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विनियमन और पर्यवेक्षण विभागों का पुनर्गठन किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर 2019 को अपने विनियामक और पर्यवेक्षी विभागों का पुनर्गठन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने21 मई 2019 की अपनी बैठक में अलग-अलग पर्यवेक्षी और विनियामक कैडर के गठन को मंजूरी दी थी।

इस निर्णय को लागू करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की श्रृंखला में से एक है विनियमन और पर्यवेक्षण कार्यों का पुनर्गठन। उपरोक्त पुनर्गठन बढ़ती जटिलता, आकार और अंतर-संबद्धता को संबोधित करने के साथ-साथ संभावित पर्यवेक्षी मध्यस्थता और सूचना असमानता के कारण उत्पन्न संभावित प्रणालीगत जोखिम से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विनियमित संस्थाओं के पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण स्थापित करने की दृष्टि से किया गया है।

उपरोक्त पुनर्गठन से:

i. विनियमित संस्थाओं के केवल संगठनात्मक ढांचे के आधार पर खंडित होने के बजाय पर्यवेक्षी और विनियामक प्रक्रिया अधिक गतिविधि आधारित बनेगी;
ii. सभी रिजर्व बैंक पर्यवेक्षित संस्थाओं को अपने आकार और जटिलता के अनुसार वर्गीकृत पर्यवेक्षी दृष्टिकोण प्रदान किया जा सकेगा;
iii. रिजर्व बैंक की निगरानी वाली संस्थाओं के बीच वित्तीय समूह के अधिक प्रभावी समेकित पर्यवेक्षण की सुविधा प्राप्त हो जाएगी;
iv. बैंक के दायरे में वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण में भाग लेने वाले मानव संसाधनों के अधिक कुशल आवंटन के परिणामस्वरूप; तथा
v. वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में एक अनुभवी और कुशल मानव संसाधन बनाने में मदद होगी।

अब 01 नवंबर 2019 से पर्यवेक्षण कार्यों को एकीकृत पर्यवेक्षण विभाग और विनियामक कार्यों को एकीकृत विनियामक विभाग में एकीकृत किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

निजी और विदेशी बैंकों में अधिकारियों का मुआवजा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 04 नवंबर, 2019 को भारत में कार्यरत सभी निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के स्थायी निदेशकों / मुख्य कार्यपालक अधिकारियों / सामग्री जोखिम लेने वालों और कार्य नियंत्रण कर्मचारियों के मुआवजे संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा की ताकि उन्हें वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफ़एसबी) के सिद्धांतों और समर्थ मुआवजा प्रथाओं के कार्यान्वयन मानकों और एफ़एसबी द्वारा जारी पूरक मार्गदर्शन के साथ बेहतर रूप से संरेखित किया जा सके।

दिशानिर्देशों का उद्देश्य अत्यधिक जोखिम लेने के प्रति प्रोत्साहन को कम करना है जो क्षतिपूर्ति योजनाओं की संरचना से उत्पन्न हो सकता है और इसका उद्देश्य मुआवजे के प्रभावी प्रशासन, विवेकपूर्ण जोखिम लेने के साथ मुआवजे के संरेखण, प्रभावी पर्यवेक्षी निरीक्षण और हितधारक की वचनबद्धता है। कार्यान्वयन मानक विशिष्ट मानदंड हैं जो उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है जिसे फर्मों और पर्यवेक्षकों द्वारा संबोधित किया जाता है ताकि जी -20 देशों और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) द्वारा

समर्थित प्रभावी वैश्विक कार्यान्वयन को प्राप्त किया जा सके। यहां क्लिक करके दिशानिर्देशों को एक्सेस किया जा सकता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और मूल निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क

भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 नवंबर 2019 को एनबीएफसी के लिए लागू आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) फ्रेमवर्क के मानक को मजबूत करने और बेहतर बनाने के उद्देश्य से एनबीफसी के लिए वर्तमान में लागू चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर दिशानिर्देश को संशोधित किया। 100 करोड़ रूपए अथवा इससे अधिक की आस्ति आकार वाली,जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली सभी एनबीएफसी, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण मूल निवेश कंपनियां और जमाराशि स्वीकार करने वाली किसी भी आस्ति-आकार वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां चलनिधि जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगी।

एएलएम फ्रेमवर्क पर एनबीएफसी के लिए लागू कुछ वर्तमान विनियामकीय निर्देशों को निम्नानुसार परिवर्तित किया गया हैं-

i) विस्तत परिपक्वता बकेट और सहन सीमाएं

संरचनात्मक चलनिधि विवरण में 1-30 दिन के समयावधि बकेट को विस्तार देकर 1-7 दिनों, 8-14 दिनों और 15-30 दिनों के सुक्ष्म बकेटों में बांट दिया है।

ii) चलनिधि जोखिम निगरानी के साधन

एनबीएफसी चलनिधि स्थिति में तनाव, यदि कोई हो, को मापने के लिए चलनिधि जोखिम निगरानी साधन/मेट्रिक्स को अपनाएंगे।

iii) चलनिधि हेतु स्टॉक अप्रोच को अपनाना

संरचनात्मक और गतिमान चलनिधि के मापन के साथ-साथ एनबीएफसी चलनिधि हेतु स्टॉक अप्रोच पर आधारित चलनिधि जोखिम निगरानी को भी अपनाएं।

iv) चलनिधि जोखिम प्रबंधन सिद्धान्तों को अधिक विस्तृत करना

एएलएम फ्रेमवर्क के महत्त्वपूर्ण घटकों पर वर्तमान निर्देशों से संबंधित चलनिधि जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया है कि चलनिधि जोखिम की निगरानी और उसके मापन को भी विस्तृत (एक्सटेंड) किया जाए।

प्रकटीकरण मानकों सहित कुछ अतिरिक्त विशेषताओं को भी प्रस्तुत किया गया है। दिशानिर्देशों के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

जमाकर्ता प्रशिक्षण और जागरूकता निधि दिशानिर्देश अद्यतित किए गए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 नवंबर 2019 को जमाकर्ता प्रशिक्षण और जागरूकता निधि से 'मांग पर' वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु संस्थान, संगठन और संघ के पंजीकरण के लिए मानदंड संबंधी दिशानिर्देशजारी किए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ता जागरूकता प्रयासों को व्यापक बनाने और उनमें गहनता लाने के उद्देश्य से पात्र संस्थाओं के पंजीकरण के लिए अब 'मांग पर' आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। डीईए निधि के साथ पंजीकरण करने की इच्छुक पात्र संस्थाएं आवेदन पत्र में उल्लिखित दस्तावेजों की सूची के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों/ सूचना के साथनिर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। दिशानिर्देशों के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के लिए तकनीकी विनिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 नवंबर 2019 को अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए मुख्य तकनीकी विनिर्देश निर्धारित किए । विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और एनबीएफसी-एए के बीच आंकड़े का सुरक्षित, विधिवत अधिकृत, सुचारु और निर्बाध आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी), ने इन विनिर्देशों को तैयार किया है । यह सुनिश्चित करना एनबीएफसी-एए की जिम्मेदारी होगी कि उसके आईटी सिस्टम में समय-समय पर अद्यतन एनबीएफसी-एए मास्टर निदेश के अनुरूप अपने कार्यों को कड़ाई से पूरा करने के लिए आवश्यक सभी विशेषताएं उपलब्ध हों। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एनबीएफ़सी-एमएफ़आई उधारकर्ताओं के लिए अर्हक आस्तियां मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 नवंबर 2019 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफ़सी-एमएफ़आई) उधारकर्ताओं के लिए अर्हक आस्तियां मानदंड सीमाओं की समीक्षा की ।

एनबीएफ़सी-एमएफ़आई के उधारकर्ताओं के लिए पारिवारिक आय की सीमा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹ 1,00,000 और शहरी/अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए ₹ 1,60,000 से बढ़ाकर क्रमशः ₹ 1,25,000 और ₹ 2,00,000 कर दी गयी है।इसके अतिरिक्त, किसी उधारकर्ता के कुल कर्ज़ की सीमा को ₹ 1,00,000 से बढ़ाकर ₹ 1,25,000 कर दिया गया है। कुल कर्ज़ की बढ़ी हुई सीमा को ध्यान में रखते हुए, ऋण देने की सीमा को वर्तमान के प्रथम चक्र में ₹ 60,000 और उसके पश्चात के चक्र में ₹ 1,00,000 से बढ़ाकर क्रमशः ₹ 75,000 और ₹ 1,25,000 कर दिया गया है।

आर्थिक पिरामिड के सबसे निचले पायदान के व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराने में एमएफ़आई की महत्वपूर्ण भूमिका और बढ़ती अर्थव्यवस्था में एमएफ़आई की निर्धारित भूमिका को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 नवंबर 2019 को एक असाधारण (ई) भुगतान अनुभव के साथ प्रत्येक नागरिक को और सशक्त बनाने के लिए और विकल्पों की बहुलता तक उसे पहुंच प्रदान करने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव किया जिनमें से कुछ निम्नुसार हैं :

i) बैंकों को यह आदेश दिया जाए कि जनवरी 2020 से बचत बैंक खाता ग्राहकों से एनईएफ़टी प्रणाली में ऑनलाइन लेन-देन के लिए शुल्क न लिया जाए।

ii) 1 जनवरी 2020 से स्वीकृत बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए स्वीकृत विकास निधि को परिचालित किया जाए।

iii) प्रणालीगत और उपभोक्ता दोनों दृष्टिकोणों से क्यूआर कोड की बहुलता और उनके सह-अस्तित्व या सम्मिलन के गुणों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए।

iv) सभी अधिकृत भुगतान प्रणालियों और लिखतों (गैर-बैंक पीपीआई, कार्ड और यूपीआई) को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) फासटैग्स के साथ जोड़ने के लिए अनुमति दी जाए। आगे बढ़ते हुए, यह पार्किंग, ईंधन आदि अंतर परिचालित वातावरण में भुगतान के लिए फासटैग्स के उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा।

v) यूपीआई के माध्यम से लेनदेन के लिए ई-जनादेश का प्रसंस्करण सक्षम बना दिया जाए।

रिजर्व बैंक ने भूटान में रुपे कार्डों की स्वीकृति की सुविधा प्रदान की है और सक्रिय रूप से अन्य अधिकार क्षेत्रों में भुगतान प्रणाली विनियामकों के साथ जुड़कर और सहयोग प्राप्त करने और आवक प्रेषण, विशेष रूप से प्रमुख विप्रेषण कॉरिडॉरों में प्रयोग की लागत और समय को कम करने के लिए अपने अनुभव को साझा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विनियामक सैंडबॉक्स के तहत पहली इकाई (कोहार्ट)

रिज़र्व बैंक ने 04 नवंबर 2019 को 'रिटेल भुगतान' को अपनी थीम के रूप में रखते हुए विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत पहली इकाई (कोहार्ट) शुरू की है। 'रिटेल भुगतान' को थीम के रूप में इसलिए अपनाया गया है ताकि डिजिटल भुगतानों के क्षेत्र में नवोन्मेष को प्रोत्साहित किया जा सके और जनता के सेवारहित और अल्प सेवा वाले वर्गों को भुगतान सेवाओं की पेशकश करने में मदद मिल सके। अन्य बातों के साथ-साथ नवोन्मेषी उत्पादों/सेवाएं, जिन्हें आरएस के तहत शामिल करने पर विचार किया जाएगा में फीचर फोन आधारित भुगतान सेवाओं सहित मोबाइल भुगतान, ऑफलाइन भुगतान समाधान, संपर्क रहित (कॉन्टैक्टलेस) भुगतान शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

एसएनआरआर खाता खोलना – संशोधित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 नवंबर 2019 को भारत सरकार के परामर्श से विशेष गैर-निवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते का दायरा बढ़ाने का फैसला किया जिसमें भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को निम्न के लिए इस तरह का खाता खोलने की अनुमति दी गई है:

i) भारतीय रूपये में बाह्य वाणिज्यिक उधार;

ii) भारतीय रूपये में ट्रेड क्रेडिट;

iii) भारतीय रूपये में व्यापार चालान (निर्यात / आयात); तथा

iv) जीआईएफटी शहर में आईएफ़एससी इकाइयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफ़एससी) के बाहर व्यवसाय संबंधी लेनदेन जैसे आईएफ़एससी के बाहर भारतीय रूपये में प्रशासनिक व्यय, स्क्रैप की बिक्री से भारतीय रूपये में प्राप्त राशि, भारतीय रूपये में सरकार की पहल आदि। भारत में एक बैंक (आईएफ़एससी के बाहर) के साथ खाता रखा जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से एसएनआरआर खाते के परिचालन के लिए कुछ अन्य प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया, जो निम्नानुसार हैं:

i) प्रस्तावित लेनदेन के लिए खोले गए एसएनआरआर खाते के कार्यकाल पर प्रतिबंध हटा दें क्योंकि प्रस्तावित लेनदेन प्रकृति में अधिक स्थायी हैं;

ii) गैर-निवासी साधारण(एनआरओ) खाता के अलावा, सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से मृतक खाताधारक के खाते से गैर-निवासी बाह्य (एनआरई) खाते में अनिवासी नामांकित व्यक्ति को देय / देय राशि या प्रत्यक्ष विप्रेषण की अनुमति

जमाराशि और खातों पर पॉलिसी के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित हैं। एडी श्रेणी – ख बैंकों को इस परिपत्र की विषयवस्तु को अपने घटकों और ग्राहकों के संज्ञान में लाना चाहिए। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

V. समिति रिपोर्ट

कोर निवेश कंपनियों के विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे पर रिपोर्ट

कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा के लिए श्री तपन राय, पूर्व सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित कार्य दल (डब्ल्यूजी) ने अपनी रिपोर्ट गवर्नर को सौंप दी है। रिज़र्व बैंक ने 6 नवंबर 2019 को रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर रखी गई है।

कार्य दल की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

i) सीआईसी द्वारा एक स्टेप-डाउन सीआईसी में अपनी निधि के 10% से अधिक के पूंजी निवेश की कटौती उसकी समायोजित मालियत से की जाए, जैसाकि अन्य एनबीएफ़सी के लिए लागू है। इसके अलावा स्टेप-डाउन सीआईसी को किसी अन्य सीआईसी में निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाए, जबकि उन्हें अन्य समूह कंपनियों में स्वतंत्र रूप से निवेश करने की अनुमति दी जा सकती है;

ii) एक समूह में सीआईसी के स्तरों की संख्या दो तक सीमित होनी चाहिए। अत: एक समूह के भीतर कोई भी सीआईसी, सीआईसी के कुल दो से अधिक स्तरों के माध्यम से निवेश नहीं करेगा जिसमें वह स्वयं शामिल है;

iii) सीआईसी वाले प्रत्येक समूह में एक समूह जोखिम प्रबंधन समिति (जीआरएमसी) होनी चाहिए;

आगे पृष्ठ 4 पर जारी ....

VI. रिज़र्व बैंक के शीर्ष प्रबंधन का वक्तव्य

'क्रॉसरोड्स पर भारतीय बैंकिंग'

भारतीय रिज़र्व बैंक के **गवर्नर श्री शक्तिकांत दास** ने प्रथम वार्षिक अर्थशास्त्र सम्मेलन, अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद विश्वविद्यालय में 16 नवंबर, 2019 को भाषण दिया।

गवर्नर ने मौजूदा बैंकिंग चुनौतियों पर ध्यान देते हुए 'क्रॉसरोड्स पर भारतीय बैंकिंग: कुछ प्रतिबिंब' विषय पर बात करते हुए व्यापक बैंकिंग क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों और सहकारी बैंकों से संबन्धित मुद्दों से निपटने के दृष्टिकोण पर ध्यान केन्द्रित किया। उन्होंने बहिर्जात कारकों की भूमिका, मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय, गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) क्षेत्र, शहरी सहकारी बैंकों, बैंकिंग के नए क्षेत्र को रेखांकित किया। उन्होंने एक उदाहरण स्थापित करनेवाले मजबूत कॉरपोरेट अभिशासन संस्कृति की आवश्यकता और बैंकों के सामान्य कामकाज में कोई व्यवधान पैदा किए बिना विलय प्रक्रिया को क्रियान्वित करने पर भी प्रकाश डाला।

गवर्नर ने यह कहते हुए अपने भाषण का समापन किया कि अर्थव्यवस्था में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है और जब अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में योगदान करने की बात आती है तो कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। पूरा भाषण पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

सूक्ष्मवित्त – वित्तीय समावेशन की अगली लहर

श्री एम. के. जैन, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 नवंबर, 2019 को मुंबई में सिडबी राष्ट्रीय सूक्ष्मवित्त सम्मेलन 2019 में भाषण दिया। उन्होंने पिछले दो दशकों में भारतीय सूक्ष्मवित्त क्षेत्र द्वारा देखी गई अभूतपूर्व वृद्धि के बारे में बात की।

उन्होंने कहा कि अल्प आय वाले समूहों को लघु ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के विस्तार से युक्त सूक्ष्मवित्त, वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने और गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक संघटन है। उन्होंने एक बड़े जनसांख्यिकीय परिवर्तन की पृष्ठभूमि में सूक्ष्मवित्त की क्षमता के बारे में भी बताया जो हमारे देश में एक विशाल और बढ़ती हुई कार्यशील आबादी के साथ हो रहा है।

अपनी समापन टिप्पणी में, उन्होंने कहा कि क्षेत्र का ध्यान 'डिजिटल सूक्ष्मवित्त' पर होना चाहिए और उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित और प्रभावी ढंग से निवारण करना सूक्ष्मवित्त संस्थानों के कार्यसूची में सबसे ऊपर होना चाहिए। उन्हें अपने ग्राहक को सकेन्द्रण जोखिम को कम करने और व्यापक विकास के लिए एक व्यापक ग्राहक आधार की सेवा प्रदान करनी चाहिए, जबकि बाहरी विकास के लिए इस क्षेत्र की भेद्यता का संज्ञान होना चाहिए। पूरा भाषण पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

पृष्ठ 3 से जारी ....

iv) बोर्ड स्तरीय समितियों जैसे लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन अनिवार्य किया जाना चाहिए;

v) अप्रत्यक्ष लाभ रिज़र्व बैंक द्वारा डिज़ाइन किया जा सकता है और अन्य एनबीएफ़सी के अनुसार सीआईसी के लिए निर्धारित किया जा सकता है। सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रमाण पत्र की वार्षिक प्रस्तुति भी अनिवार्य की जा सकती है; तथा

vi) सीआईसी का प्रत्यक्ष निरीक्षण आवधिक आधार पर किया जा सकता है। रिपोर्ट पर टिप्पणियां 30 नवंबर, 2019 तक ई-मेल के माध्यम से भेजी जा सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ग्रामीण और कृषि वित्त: समावेशी और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण इनपुट

श्री एम. के. जैन, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 नवंबर 2019 को 6 ठे वर्ल्ड काँग्रेस में एक भाषण दिया। उन्होंने 'ग्रामीण और कृषि वित्त: समावेशी और निरंतर विकास के लिए महत्वपूर्ण इनपुट' पर बात की। उन्होंने निरंतर विकास लक्ष्यों के साथ कृषि को घनिष्ठ रूप से एकीकृत करने की आवश्यकता के बारे में बताया।

उन्होंने भारतीय कृषि पर एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया और भारतीय कृषि में संस्थागत ऋण की भूमिका, स्थायी कृषि के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में कृषि वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी में चुनौतियों के बारे में बात की। उन्होंने वित्तीय समावेशन की दिशा में रिज़र्व बैंक की विभिन्न पहलों के बारे में भी बताया और मुद्दों को समझने के लिए और कृषि वित्तपोषण में बाधाओं को दूर करने के लिए व्यावहारिक समाधानों की सिफारिश करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा गठित आंतरिक कार्य समूह के बारे में बात की। पूरा भाषण पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. सर्वेक्षण

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के निर्यात पर सर्वेक्षण: 2018-19

रिज़र्व बैंक ने 18 नवंबर 2019 को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटीईएस) के निर्यात पर अपने वार्षिक सर्वेक्षण के 2018-19 दौर के परिणाम जारी किए। यह सर्वेक्षण भारत के सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (अर्थात्, गतिविधि का प्रकार; ऑन साइट / ऑफ-साइट सेवा का प्रकार; गंतव्य देश और आपूर्ति के तरीके) के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रदान करता है।

सर्वेक्षण के 2018-19 दौर के लिए, 8084 आईटी कंपनियों से संपर्क किया गया, जिनमें से बड़ी कंपनियों सहित 1818 कंपनियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू https://mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।